सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

# वार्षिक रिपोर्ट 2016-17
# ANNUAL REPORT 2016-17

## सिर्फ एक क्लिक से पाएं, डिजिटल बैंकिंग की तमाम सुविधाएं
## You are just a click away from a world of digital banking convenience

इंटरनेट बैंकिंग

INTERNET BANKING

मोबाइल बैंकिंग
यूएसएसडी (एनयूयूपी)

MOBILE BANKING
USSD (NUUP)

एम–पासबुक
पॉस

M-PASSBOOK
POS

सेन्ट यूपीआई

CENT UPI

एटीएम / कियोस्क

ATM / KIOSKS

www.centralbankofindia.co.in हमें लाइक करें : https://www.facebook.com/CentralBankofIndiaMumbai हमें फॉलो करें : https://twitter.com/centralbank_in

www.centralbankofindia.co.in Like us on : https://www.facebook.com/CentralBankofIndiaMumbai Follow us on : https://twitter.com/centralbank_in

# सफलता के सोपान

## THE MARK OF SUCCESS

'लोगो' किसी भी संगठन के वैशिष्ट्य को समाहित करता है और बाहरी दुनिया के समक्ष इसे प्रतिबिम्बित करता है. उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवर्तित प्रतिमानों के परिप्रेक्ष्य में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का समग्र स्वरूप भी वर्ष-दर-वर्ष रुपांतरित होता रहा है, जो समय के साथ सामंजस्य बनाये रखने की इसकी क्षमता का सूचक है.

The logo captures the personality of an organisation and projects it to the outside world. In keeping with the shifting paradigms and the evolving Indian Economy, Central Bank of India's personality has also morphed through the years to represent the Bank's ability to keep up with the times.

### 1911

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग का शानदार बाह्य स्वरुप दर्शाने वाला यह 'लोगो' विश्वसनीयता और मजबूती को चित्रित करता है.

Logo in the form of magnificent Central Bank of India building structure depicted dependability and solidity.

### 1956

बैंक की पहचान दर्शाने वाले आद्याक्षरों को चित्रित करने के लिए 'लोगो' को संशोधित किया गया.

Logo was revised to depict its initials identifiable with the Bank.

### 1973

'लोगो' को नया बनाया गया, जिससे और अधिक कॉर्पोरेट एवं सम-सामायिक छवि प्रस्तुत की जा सके.

Logo was given a make-over to give it a more corporate and contemporary look.

### 1982

'लोगो' में पट्टियों सहित चार वर्ग व्यक्ति, वित्त, उद्योग एवं राष्ट्र के बीच परस्पर प्रभावी अंतर्सम्बंधो को उजागर करते हुए बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा देश की अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका को प्रतिबिंबित करता है.

The four Squares in the logo with bars that represent the Man, Finance, Industry and Nation evolving their two way effective interrelationship reflects the services rendered by the bank and its role in the economy.

# विषय-सूची / Contents


| | |
|---|---|
| अध्यक्ष एवं प्रबंध का संदेश | 02 |
| निदेशक मंडल / Board of Directors | 04 |
| नोटिस | 07 |
| कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य | 15 |
| निदेशक रिपोर्ट 2016-17 | 16 |
| प्रबंधतंत्र विचार - विमर्श तथा विश्लेषण | 21 |
| कॉर्पोरेट गवर्नेंस | 55 |
| सदस्यों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट | 76 |
| दिनांक 31 मार्च, 2017 का तुलन पत्र | 79 |
| दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता | 81 |
| तुलन पत्र तथा लाभ हानि खाते की अनुसूचियां | 83 |
| मुख्य लेखांकन नीतियां | 90 |
| लेखों से सम्बन्धित टिप्पणियां | 95 |
| दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी | 126 |
| दिनांक 31 मार्च, 2017 का समेकित तुलन पत्र | 179 |
| प्रॉक्सी फॉर्म | 213 |
| Chairman & Managing Director's Message | 217 |
| Notice | 219 |
| Perfomance Highlights | 227 |
| Director's Report 2016-17 | 228 |
| Management Discussion & Analysis | 233 |
| Corporates Governance | 266 |
| Auditors' Report to the Members | 287 |
| Balance Sheet as on 31 March, 2017 | 289 |
| Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2017 | 291 |
| Scheduled to Balance Sheet and Profit & Loss Account | 293 |
| Principal Accounting Policies | 300 |
| Notes Formaing Part of the Accounts | 305 |
| Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2017 | 335 |
| Consolidted Balance Sheet as on 31st March, 2017 | 383 |
| Proxy Form | 415 |
| Attendance Form / Entry Form | 417 |

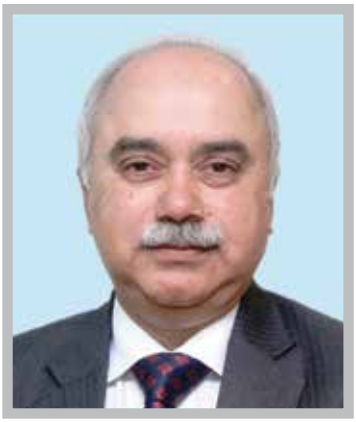

# अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयरधारक,

हाल ही में समाप्त पिछला वर्ष भी वैश्विक एवं घरेलू आर्थिक परिदृश्य की दृष्टि से चुनौती पूर्ण ही रहा था.

वर्ष 2016 के दौरान वैश्विक प्रगति की दर में रही मंदी के पश्चात वर्ष 2017 में इसमें तेजी आने की उम्मीद है. भावनात्मक पहलुओं के बढ़ने से यूएस की आर्थिक प्रगति में सुधार के आसार हैं. बेरोजगारी में कमी एवं मुद्रा स्फीति के बढ़ने से विदेशी विनिमय दरों में वृद्धि हुई है. नई सरकार द्वारा अनुमानित वित्तीय प्रोत्साहनों से विकास की सम्भावनाओं को और अधिक बल मिलेगा. डॉलर में मजबूती, बढ़ते हुए संरक्षणवाद इत्यादि के कारण यू.एस. में कुछ हद तक विकास बाधित हुआ है. सतत मौद्रिक प्रोत्साहन के चलते यूरोजोन संतुलित विकास पथ पर कायम रहेगा. इस क्षेत्र में विकास की सम्भावनाएं ''ब्रेक्जिट'' समझौतेके परिणामों पर भी निर्भर होंगी. वृद्धिशील उत्पादन एवं निर्यात, जापानी अर्थव्यवस्था के लिए कुछ हद तक मददगार रहे हैं. चीन ने पिछले वर्ष अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः संतुलित करने के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था की मन्दी की मार से बचने के लिए घरेलू उपभोग संवर्द्धित विकास पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया है. वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों के कारण कुछ वस्तु निर्यातक अर्थव्यवस्थाओं को अवश्य फायदा होगा.

भारतीय अर्थव्यवस्था नोटबंदी के ''अल्पकालिक'' प्रभाव से उबर रही है. नोटबंदी के कारण बैंकिंग सिस्टम में भारी मात्रा में एकत्र हुई जमा राशियों से ऋणों की वृद्धि में सहायता मिलेगी. साथ ही, वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट में घोषित अनुकूल उपायों से इस वृद्धि में और भी उछाल आएगा. वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) से भी आर्थिक प्रगति में मदद मिलेगी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ष 2017-18 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.2 % रहने संबंधी अपने पूर्वानुमान पर अभी भी कायम है. भारतीय अर्थव्यवस्था की पूर्व में अनुमानित वृद्धि दर भी 6.6% से बढ़कर 6.8% होने का अनुमान है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुद्रा स्फीति घट कर 4.5% रह गयी है, जो कि वर्ष 2015-16 में 4.9% थी. इस दौरान शक्कर एवं दलहनों की कीमतें उच्च स्तर पर बनी रहीं. उपयोगी वस्तुओं की बढ़ती हुई वैश्विक कीमतों एवं मौद्रिक अस्थिरता से मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी का खतरा और भी बढ़ गया है.

दीर्घकालीन मंदी के बाद निर्यात में अनुकूल सुधार हुआ है. तेल के आयात के बढ़ते हुए बिल के कारण आयात में भी वृद्धि हुई है. वर्ष 2016-17 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में चालू खाते में घाटे का अनुपात लगभग 1% रहने का अनुमान है. अप्रैल से दिसम्बर 2016-17 के दौरान संचयी आधार पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में प्रगति की दर दो अंकों में रही है. हाल ही में, पोर्टफोलियों निवेश में भी सकारात्मक रुख देखने को मिला है.

स्थिर सरकार, नीतिगत पहलों, सुधारात्मक उपायों एवं जनसांख्यकीय अनुकूलता के कारण मध्यावधि में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ रहना संभावित है.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए कठिन दौर अभी भी जारी है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भुगतान बैंक तथा निजी एवं विदेशी बैंकों जैसी अन्य संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ रहा है. नोटबंदी के कारण बैंकिंग उद्योग में जमा राशियां बढ़ने से नकद आधारित उद्योग प्रभावित हुए है. कॉर्पोरेट तुलन-पत्रों में दबाव की स्थिति के चलते ऋणों में वृद्धि भी मंद रही है.

वित्तीय वर्ष 2016-17 हमारे बैंक के लिए सुदृढ़ीकरण के साथ चुनौतियों भरा वर्ष रहा है. बैंक ने अपनी कार्य योजना को वसूली पर केंद्रित रखना जारी रखा है, जिससे इस वर्ष के दौरान बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं. दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त पिछले वर्ष में हुई ₹ 1287 करोड़ की नकद वसूली की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त इस वित्तीय वर्ष में नकद वसूली 84.77% की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर ₹ 2378 करोड़ हुई. दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त इस वित्तीय वर्ष में ₹ 1183 करोड़ का आस्ति अपग्रेडेशन हुआ, जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त पिछले वर्ष में ₹ 608 करोड़ हुआ था. निरंतर बढ़ती अनर्जक आस्तियां एवं

उनका समाधान करना, बैंकिंग उद्योग के समक्ष एक प्रमुख चुनौती है. भारतीय रिजर्व बैंक ने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) की विशिष्टताओं में संशोधन किया है तथा बैंकों पर निगरानी रखने के लिए आस्ति गुणवत्ता एवं लाभप्रदता पर जोर देने के साथ साथ तीनों जोखिमों की सीमा रेखा को भी परिभाषित किया है. वसूली प्रक्रिया की गति को बढ़ाने में दिवालियापन सुधार कानून 2016 एक स्वागतयोग्य कदम है.

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक का कुल व्यवसाय ₹ 449679 करोड़ रहा, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 456336 करोड़ था. दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक की जमाराशियां 11.45% बढ़कर ₹ 296671 करोड़ हो गयी है. कुल जमा राशियों में कासा का प्रतिशत, जो पिछले वर्ष 35.48% था, वह इस वर्ष बढ़कर 39.20 % हो गया है. बैंक के व्यवसाय में लाभकारी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उच्च लागत जमाओं में काफी कमी की गई है. कुल जमाओं में उच्च लागत जमाओं का अनुपात जो मार्च, 2016 में काफी अधिक 5.56% था, वह मार्च, 2017 में घटकर 3.70% हो गया है. कुल कोर जमाओं में 13.65% की वृद्धि से यह स्पष्ट परिलक्षित हुआ है.

बैंक का परिचालन लाभ वर्ष-दर-वर्ष 16.92% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 3089 करोड़ हुआ, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 2642 करोड़ था. तथापि वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान मुख्यत: उच्च प्रावधानों के कारण बैंक को ₹ 2439 करोड़ की शुद्ध हानि हुई है.

वित्तीय वर्ष 2016-17 में बैंक की जमा लागत घटकर 6.20 % हो गयी, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 में 6.86 % थी. बैंक की शुद्ध ब्याज आय, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 7065 करोड़ थी, वह इस वर्ष घटकर ₹ 6574 करोड़ रह गयी. यद्यपि, बैंक की गैर ब्याज आय, जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 1938 करोड़ थी, वह दर वर्ष आधार पर 48.38% की वृद्धि दर्ज करते हुए दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बढ़कर ₹ 2876 करोड़ हो गई है.

पिछले कुछ वर्षों में बैंक के लिए आस्ति गुणवत्ता एक चिंता का विषय बना हुआ है. दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में सकल अग्रिमों में सकल एनपीए बढ़कर 17.81% हो गया, जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 11.95% था. यह वृद्धि, पूंजी पर्याप्तता अनुपात में सुधार के लिए आईबीपीसी सहभागिता के माध्यम से ₹ 22991.22 करोड़ की ऋण आस्तियों की बिक्री की वजह से हुई. दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए बढ़कर 10.20% हो गया, जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 7.36% था. आपका बैंक एनपीए प्रबंधन में प्रोएक्टिव रहा है और एनपीए के स्तर को घटाने में यह अपने प्रयास जारी रखेगा. दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में प्रोविजन कवरेज अनुपात बढ़कर 58.43% हो गया, जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 51.52% था.

मार्च, 2017 को बैंक की कुल 4714 शाखाएं है जिनमें 2/3 शाखाएं ग्रामीण तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में हैं और 3677 अतिसूक्ष्म शाखाएं है और यह अपनी पहचान रिटेल बैंक के रूप में बनाएं रखेगा. आपका बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि रिटेल एवं प्राथमिकता क्षेत्र पोर्टफोलियों अब तक की तुलना में और अधिक तेजी से विकास करेगा.

बैंक की दिनांक 31 मार्च,2017 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता है.

शुभकामनाओं सहित
आपका,

**हस्त/-**
**राजीव ऋषि**

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 23 मई, 2017

| | |
|---|---|
| **निदेशक मंडल**<br>श्री राजीव ऋषि<br>श्री बी. के. दिवाकर<br>श्री पी. रमण मूर्ती<br>डॉ. सौरभ गर्ग<br>श्री शेखर भटनागर<br>श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय<br>श्री केतुल आर. पटेल<br>श्री एन. नित्यानंद | **BOARD OF DIRECTORS**<br>SHRI RAJEEV RISHI<br>SHRI B.K. DIVAKARA<br>SHRI P. RAMANA MURTHY<br>DR. SAURABH GARG<br>SHRI SHEKHAR BHATNAGAR<br>SHRI SUPRATIM BANDYOPADHYAY<br>SHRI KETUL R. PATEL<br>SHRI N. NITYANANDA |
| **लेखा परीक्षक**<br>मै. चांदाभॉय एण्ड जस्सूभॉय<br>मै. लोढ़ा एण्ड कं.<br>मै. पाठक एच. डी. एण्ड असोशिएट्स<br>मै. एस. के. मेहता एण्ड कं. | **AUDITORS**<br>M/s Chandabhoy & Jassoobhoy<br>M/s Lodha & Co<br>M/s Pathak H.D. & Associates<br>M/s S.K. Mehta & Co. |
| **रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट**<br>लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.<br>सी-101, 247 पार्क,<br>एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली (पश्चिम)<br>मुम्बई - 400 083<br>टेलीफोन नं. : 022-49186270<br>फैक्स नं. : 022-49186060<br>ई-मेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in | **REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENTS**<br>Link Intime India Pvt. Limited<br>C-101, 247 Park,<br>L.B.S. Marg, Vikhroli (West)<br>Mumbai – 400 083<br>Tel No. : 022 – 49186270<br>Fax No. : 022 – 49186060<br>E-mail ID: rnt.helpdesk@linkintime.co.in |
| **बैंक से पत्र व्यवहार करने का पता**<br>सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी / कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी<br>सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,<br>9वीं मंजिल, चन्दरमुखी<br>नरीमन पॉइंट,<br>मुम्बई - 400021<br>संपर्क सं. : 022 - 66387818<br>फैक्स नं. : 022 - 22835198<br>ई-मेल आईडी : agmcompsec@centralbank.co.in<br>Investors@centralbank.co.in | **ADDRESS FOR CORRESPONDENCE WITH THE BANK**<br>AGM-MBD / Company Secretary and Compliance Officer<br>Central Bank of India,<br>9th Floor, Chandermukhi<br>Nariman Point,<br>Mumbai – 400021<br>Contact No. : 022 - 66387818<br>FAX No. : 022 - 22835198<br>E-mail ID : agmcompsec@centralbank.co.in<br>investors@centralbank.co.in |

# निदेशक मंडल
# BOARD OF DIRECTORS

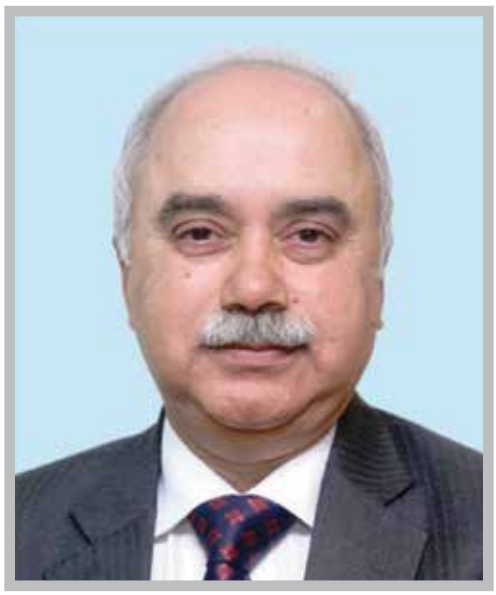

**श्री राजीव ऋषि**
**RAJEEV RISHI**

**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

**श्री बी. के. दिवाकर**
**Shri B.K. Divakara**

**कार्यपालक निदेशक**
Executive Director

**श्री पी. आर. मूर्ती**
**Shri P.R. Murthy**

**कार्यपालक निदेशक**
Executive Director

**डॉ. सौरभ गर्ग**
**Dr. Saurabh Garg**

भारत सरकार नामित निदेशक
**Govt. of India Nominee Director**

**श्री शेखर भटनागर**
**Shri Shekhar Bhatnagar**

आरबीआई नामित निदेशक
**RBI Nominee Director**

**श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय**
**Shri Supratim Bandyopadhyay**

गैर-सरकारी निदेशक
**Non-Offcial Director**

**श्री केतुल आर. पटेल**
**Shri Ketul Ramubhai Patel**

गैर-सरकारी निदेशक
**Non-Offcial Director**

**श्री एन. नित्यानंद**
**Shri N. Nityananda**

गैर-सरकारी निदेशक
**Non-Offcial Director**

# सूचना

एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की दसवीं वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे चन्दरमुखी, नरिमन पॉइंट, मुंबई - 400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय की 9वीं मंजिल में निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी.

1) दिनांक 31 मार्च 2017 को बैंक का लेखापरीक्षित स्टेंड एलोन एवं समेकित तुलनपत्र, दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का स्टेंड एलोन एवं समेकित लाभ-हानि खाता, लेखों द्वारा आवृत अवधि में बैंकों के कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखों तथा तुलनपत्र पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन तथा इन्हें स्वीकार करना.

2) एफपीओ/अधिकार/क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटाना.

निम्नलिखित पर विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर संशोधन या संशोधनो के बिना इसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

प्रस्ताव है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (''योजना'') एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियम, 1998 समय समय पर यथासंशोधित के अनुसार एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड और /अथवा इस संबंध में आवश्यक अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों तथा स्वीकृतियों, यदि कोई हों, की शर्त पर एवं उक्त अनुमतियां प्रदान करते हुए उनके द्वारा निर्धारित शर्तों एवं संशोधनों, जिनसे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति व्यक्त की गई, की शर्त पर और सेबी (पूंजी निर्गमन एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) अधिनियम 2009 (सेबी (आईसीडीआर विनियम), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 (सूचीकरण विनियमन) यथा अद्यतन संशोधित सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, यदि कोई हो, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 के अंतर्गत एवं अन्य आवश्यक प्राधिकारियों द्वारा अधिसूचनाओं/परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों के तथा अन्य लागू कानूनों के अधीन एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीकरण करारों के अधीन, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं जिसे एतदद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे 'बोर्ड' कहा गया है) को प्रदत्त किया जाता है, जिसमें पूंजी जुटाने वाली समिति शामिल है जिसे बोर्ड ने अपनी शक्तियों (इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित) के उपयोग के लिए गठित अथवा पुनर्गठित किया जाना है, को भारत अथवा विदेश में प्रस्ताव दस्तावेज/विवरण पत्र अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से उतनी संख्या में इक्विटी शेयर्स जिनका मूल्य ₹ 6500/- करोड़ (रुपए छः हजार पांच सौ करोड़ केवल) (प्रीमियम, यदि हो, सहित) हो, एक या एकाधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) कंपनियों, निजी अथवा सार्वजनिक निवेश संस्थाओं, सोसायटियों, न्यासों, शोध संस्थानों, अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) यथा विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर पूंजी निवेशकों, राज्य उद्योग विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्यनिधियों, पेंशननिधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं अथवा अन्य निकायों, प्राधिकारियों अथवा निवेशकों की अन्य श्रेणियों जो विद्यमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अधीन बैंक की इक्विटी/प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं अथवा उपर्युक्त में से कोई संयोजन जिसे बैंक द्वारा उपयुक्त समझा जाय, को इस प्रकार सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित एवं आबंटित (तत्समय लागू कानून द्वारा अनुमत निर्गम के उस भाग और उस श्रेणी के व्यक्तियों को पुष्ट आबंटन और/अथवा प्रतियोगी आधार पर आरक्षण के प्रावधान सहित) करने की शक्ति प्रदान करता है कि बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी में केंद्र सरकार की धारिता किसी भी समय 51% से कम न हो.

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** अति आबंटन के विकल्प के साथ या उसके बिना अर्हताप्राप्त संस्थानों को नियोजन ऐसे निर्गम, प्रस्ताव अथवा आबंटन सार्वजनिक निर्गमन (अर्थात, अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और राइट्स इश्यू और/अथवा निजी तौर पर आबंटन द्वारा किया जाएगा और ऐसे प्रस्ताव, निर्गम नियोजन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 सेबी (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009 (''सेबी आईसीडीआर विनियम'') के प्रावधानों तथा भारिबै, सेबी और कोई अन्य प्राधिकारी जो भी लागू हो, द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों के अधीन किया जाएगा और यह उस तरीके तथा उन नियमों एवं शर्तों तथा उस समय समयांतरों में किया जाएगा जो निदेशक मंडल द्वारा अपनी पूर्ण विवेकाधीन शक्ति में उपयुक्त समझा जाता हो.

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** निदेशक मंडल को सेबी आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियम तथा कोई अथवा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अपने संपूर्ण विवेक से उन निवेशकों जो बैंक के विद्यमान सदस्य हों अथवा न हों, को ऐसी कीमत जो आईसीडीआर विनियमों के संगत प्रावधानों द्वारा निर्धारित कीमत से कम न हों, को इस प्रकार स्वयं तय करने और आवश्यकता पड़ने पर अग्रणी प्रबंधकों और अथवा हामीदारों और/अथवा अन्य परामर्शदाताओं अथवा अन्यथा तय करने हेतु प्राधिकृत होगा.

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** सेबी (सूचीकरण प्रतिबद्धता और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के प्रावधानों, संबद्ध स्टॉक एक्सचेंज

के साथ हुए सूचीबद्धता व्यवस्था के प्रावधानों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स और मीटिंग्स), विनियम, 1998 के प्रावधानों, सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारीकरण), 2000, और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड(एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) और अन्य सभी आवश्यक प्राधिकरणों जिन्हें संयुक्त रूप से (''सक्षम प्राधिकारी'' के तौर संदर्भित किया है) के अनिवार्य अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और/ अथवा स्वीकृतियों के अधीन और ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति देते समय उनके द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन, और/ अथवा स्वीकृति (जिन्हें इसमें ''आवश्यक अनुमोदन कहा गया है'') निदेशक मंडल अपनी सम्पूर्ण विवेकाधीन शक्ति के आधार पर समय-समय पर एक अथवा अधिक श्रृखलाओं में वारंट के सिवाय इक्विटी शेयरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों, जो बाद में किसी समय इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय अथवा विनिमय योग्य हैं, को सेबी आईसीडीआर विनियमों अथवा उस समय लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित कीमत, नियम एवं शर्तों एवं अन्य प्रकार से तथा सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII में यथानिबंधित अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के अनुसार, किसी नियोजन दस्तावेज और अथवा अन्य ऐसे दस्तावेजों/लेखों/परिपत्रों/%ापनों के माध्यम से अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) को बोर्ड इस प्रकार निर्गम प्रस्ताव एवं आबंटन कर सकेगा कि बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी में केंद्र सरकार की धारिता किसी भी समय 51% से कम न हो.

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अनुसार अर्हतापात्र संस्थागत नियोजन के मामले में:

ए) प्रतिभूतियों का आबंटन, सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के निहितार्थों में सिर्फ अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा एवं ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णता चुकता होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन, इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 12 महीनों के अंदर पूर्ण किया जायेगा.

बी) सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 85(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक विनियमों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम कीमत पर अधिकतम 5% की छूट पर शेयर, प्रस्तावित करने हेतु अधिकृत है.

सी) प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत के निर्धारण की संगत तारीख, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार तय होगी.

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** निर्गम के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान करते समय एवं आबंटन, लिस्टिंग करते समय बोर्ड को यह अधिकार व शक्ति प्राप्त होगी कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/वे स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है या ऐसे ही अन्य उचित प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में चाहे गए या दिए गए संशोधनों, जिनसे बोर्ड सहमत हो, को स्वीकार किया जाए.

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** कि एनआरआई, एफआईआई एवं/अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए इक्विटी शेयर्स/प्रतिभूतियों, यदि कोई है, का निर्गम एवं आबंटन, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999, यथालागू, के अंतर्गत आरबीआई के अनुमोदन के अधीन, परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर होगा.''

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** कथित नए इक्विटी शेयर्स, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियमन, 1998, यथा संशोधित, के अधीन जारी किए जाएंगे और वे सभी प्रकार से बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयर्स के समान माने जाएंगे और वे घोषित किए गए लाभांश, यदि कोई हो, के लिए सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप, जो उनकी घोषणा के समय प्रचलित हैं, के लिए पात्र होंगे.''

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** किसी भी निर्गम अथवा इक्विटी शेयर्स/प्रतिभूतियों के आबंटन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य हेतु, निवेशकों की श्रृंखला, जिन्हें प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर्स/प्रतिभूतियों की संख्या, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकानुसार उचित समझे जाने वाले निर्गम पर प्रीमियम सहित सार्वजनिक प्रस्ताव के नियमों को निर्धारित करने के लिए, निदेशक मंडल एतदद्वारा प्राधिकृत है और रहेगा तथा उन सभी कार्यों विलेखों व मामलों को करने तथा उन सभी विलेखों, दस्तावेजों एवं करारों, जो इसके संपूर्ण विवेकाधिकारों में आवश्यक उचित अथवा वांछित हों, का निष्पादन करने तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम आबंटन एवं निर्गम प्राप्तियों के उपयोग के सम्बंध में उत्पन्न किसी भी प्रकार का प्रश्न, कठिनाइयों अथवा संदेहों का समाधान करने तथा सदस्यों के और अधिक अनुमोदन के बिना, बैंक के सर्वोत्तम हित में अपने संपूर्ण विवेक में उचित एवं आवश्यक समझे जाने के अनुरूप उसके नियमों व शर्तों में ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, विचलनों, बदलावों, समापनों, जुड़ावों को प्रभावी करने तथा इस प्रस्ताव के द्वारा बैंक एवं बोर्ड को प्रदत्त सभी अथवा किन्हीं शक्तियों का उपयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकेगा.''

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** निदेशक मंडल एतदद्वारा किसी भी बुक-रनर(रों), अग्रणी प्रबंधक(कों), बैंकर(रों), हामीदार(रों), डिपाजिटरी(रियों), पंजीयक(कों), लेखापरीक्षक(कों) और ऐसी सभी एजेन्सियों, जो इक्विटी/प्रतिभूतियों के ऐसे प्रस्तावों से सम्बंधित अथवा शामिल हैं, के साथ ऐसे सभी ठहरावों को करने एवं उनके निष्पादन के लिए प्राधिकृत है और रहेगा तथा ऐसे सभी संस्थानों एवं एजेन्सियों को कमीशन, ब्रोकरेज, फीस अथवा इसी प्रकार की अन्य